शोध का अर्थ और परिभाषा

शोध का अर्थ है खोज करना या पता लगाना और फिर से जांच करना। यह नया ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। शोध को अनुसन्धान भी कहा जाता है।

- शोध केवल नई वस्तुओ को खोज निकालने का एक प्रयास है।
- नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते है।
- शोध का लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति।

शोधकार्य मानव जाति के विकास जितना ही पुराना है। जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी थी, वैसे ही आवश्यकता खोज की जननी भी थी। मनुष्य की जरूरत ने उसे न केवल भोजन की तलाश में भेजा, बल्कि ज्ञान के तलाश में भी भेजा। यह प्रक्रिया मूल रूप से ज्ञान का अधिग्रहण, सत्य की खोज, स्पष्टीकृत तथ्यों की खोज थी। चूँकि उस समय यह क्षेत्र बहुत बड़ा था, इसलिए हर खोज में एक भव्य रोमांच रहा होगा। इसलिए शोध सवालों के जवाब जानने के तरीकों में से एक है।

अनुसंधान के उद्देश्य

अनुसंधान का इतिहास मानव जाति के इतिहास जितना पुराना है मनुष्य अपने परिवेश विशेषकर सामाजिक कारकों से बहुत प्रभावित होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिस कारण मनुष्य को अपने आस पास

घटित होने वाली घटनाओ को जानने व् समझने की उत्सुकता रहती है जिस कारण मनुष्य इन घटनाओ पर अपनी तर्क शक्ति से विचार करता है और उन समस्याओ का हल खोजने कई कोशिश करता है और उसे प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करने के बाद ही निर्णय लेता है। शोध का उद्देश्य नये नये विषयों की खोज करना है ताकि मानव जाति के पारस्परिक हितो के टकराव को कम करके मानव के जीवन को सुगम किया जा सके।

कानूनी अनुसंधान अर्थ

विधिक शोध का अर्थ है ज्ञान की उस शाखा में अनुसंधान जो कानून और कानूनी संस्था के सिद्धांतों से संबंधित है। कानून के तीन मुख्य स्रोत हैं, विधिक संहिता, प्रथा व् न्यायिक निर्णय। विधिक शोध के अंतर्गत सामाजिक राजनितिक विधिक आदि से सम्बन्धित विषयों पर विचार करके व्यवस्थित शोध किया जाता है।

विधि का समाज और व्यक्ति से गहरा सम्बन्ध है। लोगो के पारस्परिक व्यवहार से कुछ समस्याए भी उत्पन्न होती है जिस का समाधान शोध पद्धति द्वारा निकाला जाता है। कानून की समस्याओं या कानून से जुड़े किसी भी मामले की व्यवस्थित जांच के लिए कानूनी अनुसंधान अपरिहार्य है। इसलिए, कानून का बेहतर ज्ञान प्राप्त करने और किसी भी समस्या को समझने के लिए खोजबीन की जानी चाहिए, जो उस क्षेत्र से जुड़े बेहतर और अधिक प्रभावी कानून का अभिन्न अंग हो सकता है, ।

कानूनी अनुसंधान के उद्देश्य

कानून को एक व्यवहार विज्ञान कहा जा सकता है क्योंकि यह मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। समाज में परिवर्तन होता रहता है जिस

कारण विधि को भी बदलती परिस्थितियो के अनुसार बदलना पड़ता है इसलिय कानून को समय के साथ चलना चाहिए। यदि कानून को जीवित और सक्रिय रहना है तो जरूरी है कि क़ानून बदलती परिस्थितियो के अनुसार बदले। क़ानून जीवित व् सक्रिय होता है यदि क़ानून सक्रिय और उपयोगी है। कानूनी शोध का उद्देश्य, मौजूदा कानूनों में कमियों का पता लगाना और उन्हें खत्म करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना है। यदि कोई ऐसा क्षेत्र है, जिसके लिए कोई कानून नहीं है, तो कानूनी अनुसंधान का उद्देश्य उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त कानून का सुझाव देना होगा; लेकिन अगर उस क्षेत्र के लिए कोई कानून है, लेकिन एक कारण या दूसरे के कारण, यह काम नहीं करता है, तो इसका उद्देश्य मौजूदा कानून में सुधार का सुझाव देना होगा ताकि इसे काम करने योग्य बनाया जा सके।

निम्नलिखित कानूनी अनुसंधान के उद्देश्यों के रूप में लिया जा सकता है: 1. नए तथ्यों की खोज करने के लिए। 2. पुराने तथ्यों का परीक्षण और सत्यापन करना। 3. नए सैद्धांतिक ढांचे में तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए। 4. नए तथ्यों या कानून के नए सिद्धांतों के परिणामों की जांच करने के लिए; या न्यायिक निर्णय। 5. नए कानूनी अनुसंधान उपकरण विकसित करना या कानून के क्षेत्र में अन्य विषयों के उपकरण लागू करना। 6. नई कानूनी अवधारणा का प्रचार करना। 7. इतिहास के दृष्टिकोण से कानून और कानूनी संस्थानों का विश्लेषण करना। 8. नए कानून या कानूनी संस्था की प्रकृति और दायरे की जांच करना। 9. पुराने कानून के गुणों और अवगुणों का पता लगाने के लिए और पुराने कानून के स्थान पर एक नए कानून के लिए सुझाव देने के लिए। 10. विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए और एक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में एक दूसरे की सहायता करने के लिए सुझाव देने के लिए।

कानूनी अनुसंधान प्रभाव

आधुनिक समय में, कानून को बहुत महत्व दिया गया है। यह मनुष्यों की लगभग सभी गतिविधियों के लिए एक विधि प्रदान करता है। यह स्वीकार किया गया है कि कानून सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का सौदा करता है या वह रोजगार में प्रवेश करता है या वह किसी एक को चोट पहुंचाता है, या ह अपना बकाया भुगतान करने में विफल रहता है तो वह कानून के संपर्क में आता है। और जहां कोई कानून नहीं है वहाँ अनुसंधान का महत्व ज्यादा होता है क्यूंकि न्याय, सद विवेक और साम्या पर न्याय आधारित हो सकता है जिसका ज्ञान शोध से ही होता है ।

http://www.nmu.ac.in/Portals/46/SLM/LL.%20M.%20Paper-IV.pdf
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/38814/10/10_chapter%202.pdf
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/9793/8/08_chapter%201.pdf